

19/01/18

आवेदन की तिथि 19/01/18
अधिकारी की तिथि 19/01/18
19/01/18

र में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खातिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

ता- धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद, हल्का सं०- (1) स्टेट का नाम- झारखण्ड

1	क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और संबद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
		मि० रि० धा० खा० 859 (1) 20...16-17	पठरपाला	धनबाद 04	खाता- 1279 प्लॉट- 1279 रकबा- 0 50 011 3 9051 लगान- 2 00 2 5 0 4	अंचल अधिकारी धनबाद	विक्री / उत्तराधिकारी दलील संख्या 1559 दिनांक 28/02/16	पुराना जमा- 400 पुराना रैयत- मुस्ताफा अली अंलादी वी. नया रैयत- 1) मो. यासीन मि०. अब्दुल रऊफ 2) मो. फरीम मि०- 20. मो. जागतुद्दीन रु०. इस्मैल वी 13 चन्दादी	जमा सं० _____ में दर्ज किया	



जापाक संख्या ता० 20
कर्मचारी हल्का सं० (1) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

मं० द्वारा जोड़ कोपी

को मिलान किया

सर्वो प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय धनबाद



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

मिडिल दाखिल खारिज मु० संख्या 359 (2) / 2015-16
2016-17

आवेदन की तिथि 17/01/18
अभिलेख की तिथि 18/01/18
दिनांक 19/01/18

(1) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
6/3/17	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>श्री. श्रीमती. मो. शशी. पिता. सुब्रह्म. 2345</u> पिता/पति <u>श्री. मो. शशी. पिता. 24</u> साकिम. <u>...</u> थाना <u>...</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा <u>...</u> मौजा नं० <u>...</u> खाता नं० <u>...</u> प्लॉट नं० <u>...</u> रकबा <u>...</u> दलील सं० <u>...</u> दिनांक <u>...</u> के द्वारा श्री/श्रीमती <u>...</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>...</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>
20/3/17	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबदी सं० <u>...</u> में विक्रेता को विक्रेता के <u>...</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निर्बाधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद/ कुलकृष्ण निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की राशि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध कर लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>...</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा। लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

कॉपी
19/01/18

मैने मिलान किया
19/01/18

प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय
धनबाद